Memorandum of Association and Article of Association

कम्पनी का पार्षद सीमानियम एवं अंतर्नियम

Dr. Sandeep Dubey
Asst. Professor
Department of Commerce
Durga Mahavidyalaya, Raipur (C.G.)

पार्षद सीमानियम का अर्थ एवं परिभाषा

- पार्षद सीमानियम का आशय एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रलेख से है जिसमे लिखित शर्तो के आधार पर कम्पनी का समामेलन होता है|
- इसे कम्पनी का संविधान और कम्पनी निर्माण की आधारशिला भी कहा जाता है |
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा2(56) के अनुसार – " सीमानियम से आशय एक कम्पनी के ऐसे नियमो से है जो पूर्व के किसी कम्पनी अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया अथवा समय-समय पर परिवर्तित किया गया है | "
-

पार्षद सीमानियम की विशेषताए

- यह कम्पनी का सबसे महत्वपूर्ण एवं आधारभूत प्रलेख होता है|
- सीमानियम को अनिवार्य प्रलेख माना जाता है एवं रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है|
- यह कम्पनी के अधिकार एवं सीमाओं को निर्धारण करता है |
- यह एक सार्वजानिक प्रलेख भी होता है |
- इसे कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाया जाता है

पार्षद सीमानियम की उद्देश्य

- कोई भी संस्था नियमों, उद्देश्यों और दायित्वों के आधार पर ही काम करती है । अतः कंपनी के निर्माण के समय भी कंपनी का निर्माण क्यों और किस काम के लिए किया जाए इस सब का निर्धारण भी अति आवश्यक है, तभी कंपनी भविष्य काल में विषय पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर सकेगी ।
- **उद्देश्य का निर्धारण :-** पार्षद सीमा नियम कंपनी के लिए उसके उद्देश्यों के निर्धारण का काम करता है । जिसके बल पर कम्पनी के द्वारा नियम और योजनाएं बनाई जाती हैं । कोई भी कंपनी पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्यों से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती ।
- **2. कम्पनी का विवरण :-** हर अंशधारी या ऋणपत्र वाहक जो सर्वप्रथम निवेश करना चाहता है, उसे कंपनी के बारे में जानने की आवश्यकता होती है । पार्षद सीमा नियम के निर्माण से ऋण पत्र धारकों और अंशधारियों को कंपनी के बारे में पता चल जाता है , जो प्रविवरण जारी करते समय कोई कंपनी प्रविवरण से साथ संलग्न करती है ।

पार्षद अंतर्नियम का अर्थ एवं परिभाषा

- कम्पनी के पार्षद अंतर्नियम से आशय कम्पनी के उद्देश्यों के प्राप्त करने एवं उनकी आंतरिक प्रबंध व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाये गये नियमो एवं उपनियमो से लगाया जाता है |
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(5) के अनुसार पार्षद अंतर्नियम का आशय ऐसे नियमो से है जो पूर्व मे किसी कम्पनी अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया हो तथा समय- समय पर परिवर्तित किया गया है|

पार्षद अंतर्नियम की विषय सामग्री

1. सारणी अ में कौन कौन से नियम किस सीमा तक लागू होंगे ?
2. प्रारम्भिक अनुबंधों की पुष्टिकरण की विधि।
3. विभिन्न प्रकार के अंशो का विभाजन व अंशधारियो के अधिकार।
4. अंशो के निर्गमन तथा आबंटन की विधि।
5. अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र निर्गमन की विधि।
6. न्यूनतम अभिदान राशि का निर्धारण।
7. अंशो पर याचना सम्बन्धी नियम।
8. अंश पूंजी के वृद्धि, कमी तथा पुनर्गठन की विधि।
9. अभिगोपन कमीशन का भुगतान।
10. अंशो व ऋणपत्रों ओर कमीशन व दलाली का भुगतान।

Thank You